## न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 142/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2014/00010)**

गिरदावरी धर्मपत्नी श्री काशीराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

**अपीलान्ट**

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. सावित्री पत्नी रणजीत सिह जाति जाट निवासी चक 13 एस.पी.बी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

**रेस्पोडेंट्स**

**उपस्थितः** 1. श्री हरिश मदान – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ज्ञानसिह विश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 20.12.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 10.04.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 56 दिनांक 02.05.2001 के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ मे अपील पेश कर इन्तकाल सं. 56 को अपीलान्ट की हद तक निरस्त कर चक नं. 13 एस पी डी–ए के प.नं. 186/30 किला नं. 23 ता 25 में 06 बिश्वा रास्ता के अंकन को हटाने का निवेदन किया, जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.04.2014 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि चक नं. 13 एस.

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पी.डी.–ए खाता सं. 8/8 पं. नं. 186/30 (25) कि. नं. 8, 13 ता 18, 23/2 ता 25/2 कुल 2.454 हैक्टेयर मय गै.मु. खाला अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक नं. 13 एस.पी. डी.–ए खाता सं. 10 प. नं. 186/30 (25) कि. नं. 8, 13 ता 18, 23/2 ता 25/2 कुल 2.454 हैक्टेयर मय गै.मु. खाला अपीलान्ट के नाम से वर्तमान दर्ज है। चक नं. 13 एस.पी.डी.–ए खाता सं. 10 प. नं. 186/30 (25) कि. नं. 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 10 बीधा मय गै. मु. खाला खातेदारी अपीलान्ट के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत भूमि के कि.नं. 15, 16, 25 मे सं 2.2 बिश्वा खाला मंजूर शुदा है, जो हमेशा से उपयोग आ रहा है तथा वर्तमान मे चालू है उक्त 6 बिश्वा कृषि भूमि के अलावा 9.14 बीधा कृषि भूमि अपीलान्ट की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। अपीलाधीन इंतकाल सं. 56 दिनांक 02.05.2001 को ए.सी.सी. सूरतगढ के निर्णय दिनांक 29.07.1988 का हवाला देकर तस्दीक किया गया है जबकि ए.सी.सी. सूरतगढ का कोई निर्णय मौजूद नही है। वर्ष 1988 के दौरान सूरतगढ में ए.सी.सी. का कोई विभाग या न्यायालय अस्तित्व मे नही था। अपीलान्ट को इंतकाल से पूर्व किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ए.सी.सी. का आदेश दिनांक 29.07.1988 का होना बताया है और उसकी पालना वह वर्ष 2001 में करवा रहा है। इस देरी का कोई हवाला या कारण नही बताया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2001 एवं 10.04.2014 को निरस्त कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर इंतकाल सं. 56 दिनांक 02.05.2001 चक नं. 13 एस.पी.डी.–ए के प. नं. 186/30 किला नं. 23 ता 25 में 06 बिश्वा रास्ता के अंकन का हटाने के आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार द्वारा ए.सी.सी. सूरतगढ के आदेश दिनांक 29.07.1988 की पालना में अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज किया गया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज की गई है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 10.04.2014 के विरूद्व दिनांक 04.07.2014 को प्रस्तुत की गई जो कि प्रथम दृष्टया मियाद बाहर है परन्तु अपीलान्ट ने दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 30.12.2013 को उसके पति का देहान्त हो जाने तथा अभिभाषक से निर्णय की जानकारी नही मिलने के कारण अपील मियाद के भीतर प्रस्तुत नही की जा सकी। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्व कोई खण्डन अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 56 दिनांक 02.05.2001 ए.सी.सी.सूरतगढ के आदेश दिनांक 29.07.1988 के आधार पर दर्ज किया है। उक्त इन्तकाल हुकमन तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट को ए.सी.सी.सूरतगढ के आदेश के विरूद्व अपील पेश करनी चाहिये थी। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय मे भी कथन था कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.1988 की प्रति नही मिल रही है तथा इस न्यायालय में भी यही आधार लिया गया है। अदालतवाला द्वारा ए.सी.सी.सूरतगढ के आदेश दिनांक 29.07.1988 से सम्बधित पत्रावली तलब की गई परन्तु पत्रावली बार–बार लिखे जाने के बाद भी प्राप्त नही हुई। जिस पर उभय पक्ष द्वारा अपील पर अंतिम बहस सुनने का निवेदन करने पर बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ व तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा चक नं. 13 एस.पी.डी.–ए के मु. नं. 186/30 के किला नं. 23, 24, व 25 प्रत्येक मे 2–2 बिस्वा गै.मु. रास्ता की भूमि के सम्बन्ध में

नामान्तकरण सं. 56 दिनांक 02.05.2001 की हद तक स्वीकार करने का निवेदन किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पति द्वारा रास्ता खुलवाने की मांग के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। हम जब नामान्तकरण सं. 56 का अवलोकन करते है तो पाते है कि नामान्तकरण सं. 56 में अपीलान्ट के अतिरिक्त चार अन्य खातेदार क्रमशः गंगाराम पुत्र फरसाराम जाखड़ावाली, मुखराम पुत्र रावताराम जाट सरदारपुरा खर्था, गिरदावरी पत्नी काशीराम जाखड़ावाली, गणेशाराम पुत्र चेतुराम जाट, रामचन्द्र पुत्र श्रीराम जाट, सहीराम पुत्र मलूराम जाट, के नाम से भी ए.सी.सी.सूरतगढ के आदेश दिनांक 29.07.1988 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है, ये सभी इस अपील में प्रभावित पक्षकार है उनके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है यहा तक कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 भी इस नामान्तकरण सं. 56 से प्रभावित पक्षकार है। केवल उन्हे ही अपील मे पक्षकार बनाया गया है, अन्य प्रभावित पक्षकारो को अपील मे शामिल नही किया गया है। इस प्रकार अपील मे पक्षकारो का असंयोजन है। वास्तव में अपीलान्ट नामान्तकरण सं. 56 से प्रभावित न होकर ए.सी. सी.सूरतगढ के आदेश दिनांक 29.07.1988 से पीड़ित होना प्रकट होता है। जिसके विरूद्व अपील की जानी चाहिये थी इस प्रकार अपील अपीलान्ट मूल आदेश के विरूद्व प्रस्तुत नही होने के कारण संधारण योग्य नही है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तकरण सं. 56 दिनांक 02.05.2001 के विरूद्व 25.03.2013 को अपील प्रस्तुत की जो कि प्रथम दृष्टया मियाद बाहर थी, मियाद के विषय में दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया परन्तु अपील के सलग्न नकल जमा बन्दी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नामान्तकरण सं. 130 दिनांक 29.02.2012 रहनमुक्ति का नामान्तकरण अपीलान्ट की भूमि के संदर्भ मे दर्ज हुआ है तथा नामान्तकरण सं. 131 दिनांक 24.04.2012 रहननामा के आधार पर उक्त भूमि के संदर्भ दर्ज हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा भूमि को रहन रखते समय राजस्व रिकार्ड की प्रति बैक में प्रस्तुत की गई थी उस समय उक्त रकबे मे रास्ता अंकन सम्बन्धी ज्ञान अपीलान्ट को अवश्य रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

व शपथ पत्र विश्वसनीय नही है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया जबकि अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संधारण योग्य नही होने, पक्षकारो का असंयोजन तथा प्रथम अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण सं. 56 दिनांक 02.05.2001 एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 10.04.2014 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एल.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर